

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

New Delhi REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

No. 8-14.027 49

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय कृष्ण फिन्लेज प्राइवेट लिमिटेड को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Jai Krishan Finlease (Private) Limited

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नवम्बर दो हजार दो की पच्चीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at
this **Twenty Fifth** day of **November** Two Thousand **Two**.



Harmesh Khanna

(महा प्रबंधक / ~~उप-महा प्रबंधक~~)

General Manager / ~~Deputy General Manager~~